

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

सं० संख्या-08/आ०-05-39/2021...../निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश
ज्ञापांक 868 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरुद्ध श्रीमती सुजाता कुमारी,
तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शेरघाटी, गया-सम्प्रति-सेवानिवृत्त द्वारा अपील अभ्यावेदन
समर्पित किया गया है।

श्रीमती कुमारी के अपील अभ्यावेदन में रखे गये पक्ष पर उनके मामले की सुनवाई दिनांक
23.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की गई
है।

ह०/-

(उर्मिला कुमारी)

उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-08/आ०-05-39/2021.....1041...

पटना, दिनांक 11.09.2026

प्रतिलिपि:-सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/श्रीमती सुजाता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा
पदाधिकारी, शेरघाटी, गया-सम्प्रति-सेवानिवृत्त, वर्तमान पता-पति-अम्बर कुमार साह, M.P 105
इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी, पूर्णियाँ-854301, मो० नं०-7903614970 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र श्रीमती सुजाता
कुमारी को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।